दूरभाषः – 0522–2450007

उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग

मान्यवर श्री कांशीराम जी ग्रीन (ईको) गार्डेन, प्रशासनिक भवन, ब्लाक–बी0, लखनऊ।

विज्ञापन संख्या :506/रा0वि0आ0/2019 दिनांक : 16/सितम्बर/2019

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 राज्य विधि आयोग, लखनऊ के निष्प्रयोज्य घोषित कार्यालय फर्नीचर, विद्युत एवं अन्य उपकरण तथा कम्प्यूटर, सहवर्ती उपकरण एवं फोटोस्टेट मशीन की नीलामी उ0प्र0 राज्य विधि आयोग, लखनऊ के कार्यालय भवन मान्यवर श्री कांशीराम जी ग्रीन (ईको) गार्डेन, प्रशासनिक भवन, ब्लाक–बी0, लखनऊ में जहाँ और जिस हालत में हैं, दिनांक 30 सितम्बर, 2019 को समय 11:00 बजे से सम्पन्न होगी । किसी भी कार्य दिवस में उक्त सामग्रियों का निरीक्षण किया जा सकता है । नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक बोली दाता को अपने पहचान पत्र की स्व–प्रमाणित प्रति तथा रू0 1,000/–(रू0 एक हजार मात्र) टोकन मनी के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा । बोली स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार आयोग को होगा ।

सचिव
उ0प्र0 राज्य विधि आयोग
लखनऊ

दिनांक 16.09.2019 का विज्ञापन वेबसाइट
www.upslc.upsdc.gov.in एवं
www.upvidhai.gov.in पर उपलब्ध है ।

UPSLC

निष्प्रयोज्य सामग्री को नीलाम किये जाने हेतु शर्तें :–

1 – निष्प्रयोज्य सामग्री की नीलामी में प्रतिभाग लेने वाले व्यक्ति/फर्म को टोकन मनी के रूप में रू0 1,000/–(रू0 एक हजार मात्र) तथा स्वप्रमाणित पहचान पत्र जमा करना आवश्यक है तथा मूल पहचान पत्र लाना होगा ।

2 – नीलामी दिनांक 30.09.2019 को समय 11:00 बजे आयोग के कार्यालय मा0 कांशीराम जी ग्रीन (ईको) गार्डेन, प्रशासनिक भवन, ब्लाक बी, लखनऊ में की जाएगी।

3 – नीलामी में बोली लगाने का अधिकार उसी को होगा जिसके द्वारा नीलामी की तिथि को समय 11:00 बजे तक टोकन मनी रू0 1,000/– जमा कर टोकन प्राप्त कर लिया जायेगा । टोकन प्राप्त करने का समय प्रातः 10:00 बजे से 11:00 बजे तक नियत किया जाता है । जिस व्यक्ति के पक्ष में नीलामी स्वीकृत की जायेगी, उसे छोड़कर अन्य सभी की जमा टोकन मनी बाद नीलामी वापस कर दिया जाएगा ।

4 – निष्प्रयोज्य सामग्री ''जैसी दशा में है जहॉ है'' उसी प्रकार नीलाम की जाएगी।

5 – अन्तिम अधिकतम बोली जिस बोलीदाता के पक्ष में स्वीकार की जायेगी, उसे अधिकतम बोली की धनराशि का 25 प्रतिशत तुरन्त नकद जमा करना होगा, अन्यथा उसके द्वारा जमा की गई टोकन मनी की धनराशि जब्त कर ली जायेगी ।

6 – उसी दिन बोलीदाता द्वारा पूर्ण धनराशि जमा करने के उपरान्त निष्प्रयोज्य सामग्री को अपने संरक्षण में लेना होगा ।

7 – क्रय की निष्प्रयोज्य सामग्री को बोलीदाता द्वारा एक सप्ताह के अन्दर उठाना होगा । निष्प्रयोज्य सामग्री को सौंपे जाने के बाद आयोग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी ।

8 – किसी भी बोली को बिना कोई कारण बताये निरस्त करने का अधिकार आयोग का होगा ।

9 – अन्तिम बोली जिस बोलीदाता की स्वीकार की जायेगी उसे अधिकतम धनराशि के अतिरिक्त नियमानुसार देय जीएसटी शुल्क का भी भुगतान करना होगा ।

10 – बोलीदाता द्वारा क्रय किये गये सामान को एक सप्ताह के अन्दर यदि नहीं हटाया जाता है तो नीलाम की गई वस्तुओं में अग्रिम क्षति (टूट–फूट) आदि के लिए आयोग का कोई दायित्व न होगा ।

सचिव
उ0प्र0 राज्य विधि आयोग
लखनऊ

UPSLC